कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् कुलदीप राय व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि. पन्नीवाली जाटान, श्रीगंगानगर का स्थानांतरण राबाउमावि कांकरोली, राजसमन्द किया गया। कुलदीप राय द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15335/2019 कुलदीप राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15335/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2019 द्वारा याचिकार्थी कुलदीप राय को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी कुलदीप राय द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के डिस्क प्रोबलम, माताजी के लकवा ग्रस्त होने एवं स्थानान्तरण स्थान निवास स्थान से 750 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन यथा स्थान अथवा राउमावि किंकरवाली, श्रीगंगानगर/राबाउमावि रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर/राउमवि बीरमाणा, श्रीगंगानगर/राबाउमावि अनूपगढ श्रीगंगानगर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। चूंकि याचिकार्थी कुलदीप राय को उनके स्वंय के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–1/नियुक्ति–अंग्रेजी/पीएससी/2015–17 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदावन्नत कर पदस्थापन हेतु संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर को सुपुर्द किया गया। तदनोपरान्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक सं.नि./स्कूल शिक्षा/बीका/संस्था–I/लियन/कुलदीप राय/19–20/804 दिनांक 25.10.2019 द्वारा राउमावि केसरीसिंहपुर, करणपुर, श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। जहां इनके द्वारा दिनांक 31.10.2019 को वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/एसबीसियासं 15335/कुलदीप राय/2019/09 **दिनांकः**–04/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य 9. संबंधित कार्मिक 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)